



कार्यालय उपनिदेशक कृषि (गु0नि0)
राज्य उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला
जिला - उदयपुर
कुम्हारों का भट्टा, उदयपुर (313001)

राजस्थान सरकार



Office of Deputy Director Agri.(Q.C)
State Fertilizers Testing Laboratory
District-Udaipur
Kumharo Ka Bhatta, Udaipur(313001)



Phone/Fax- 0294 2415410 Email- ddqc_udr@rediffmail.com

क्रमांक: एफ/स्टोर/नीलामी/2019-20/1182-95


दिनांक: 14/02/2020

:-नीलामी सूचना:-

इस कार्यालय के अनुपयोगी/अप्रचलित भंडार सामग्री जिसका पुस्तकीय मूल्य रुपये 582190/- (अक्षरे रुपये पांच लाख बरीयासी हजार एक सौ नब्बे रुपए मात्र) है की नीलामी जहां है जैसी स्थिति में है दिनांक 03.03.2020 को कार्यालय प्रांगण में दोपहर 2:30 बजे बजे रखी गई है। सामग्री का अवलोकन इच्छुक खरीददार कार्यालय समय में आकर कर सकते है। नीलामी की बयाना राशि 5800/-रुपये (अक्षरे रुपये पांच हजार आठ सौ) बोली लगाने से पूर्व जमा कराना होगा।

नीलामी की शेष शर्तें कार्यालय समय में आकर देखी जा सकती है या विभागीय वेवसाइट www.krishi.rajasthan.gov.in व <http://sppp.raj.nic.in> से भी डाउनलोड की जा सकती है।

UBN No.- AGR1920GSOB00370


14/02/2020

(डॉ राहुल जैन)
उपनिदेशक कृषि (गु0नि0)
राज्य उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला
जिला उदयपुर



कार्यालय उपनिदेशक कृषि (गु0नि0)
राज्य उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला
जिला - उदयपुर
कुम्हारों का भट्टा, उदयपुर (313001)

राजस्थान सरकार




Office of Deputy Director Agri.(Q.C)
State Fertilizers Testing Laboratory
District-Udaipur
Kumharo Ka Bhatta, Udaipur(313001)



Phone/Fax- 0294 2415410 Email- ddqc_udr@rediffmail.com

दिनांक 03.03.2020 को कार्यालय के अनुपयोगी सामान की नीलामी की शर्तें निम्न प्रकार हैं:-

1. नीलामी किये जाने वाली सामग्री जहां है, जैसी है, आधार पर नीलामी की जाएगी। बोलीदाता बोली लगाने से पूर्व सामग्री का निरीक्षण कर लें।
2. नीलामी में भाग लेने वाले सदस्यों को बतौर बयाना राशि 5800/- (अक्षरे रुपये पांच हजार आठ सौ मात्र) बोली लगाने से पूर्व जमा करानी होगी।
3. अधिकतम बोली लगाने वाले सदस्य के नाम बोली छोड़ी जावेगी।
4. अधिकतम बोली लगाने वाले सदस्य की बयाना राशि अधिकतम राशि में समायोजित कर ली जावेगी। द्वितीय अधिकतम बोलीदाता की बोली बयाना राशि प्रथम अधिकतम बोलीदाता के द्वारा राशि जमा करवा दिये जाने के उपरान्त ही लौटायी जावेगी। शेष सभी सदस्यों को बोली के पश्चात बयाना राशि लौटा दी जावेगी।
5. सफल बोली राशि का 25% तत्काल जमा कराना होगा व नियमानुसार GST जमा कराना होगा GST राशि बोली राशि से अतिरिक्त देय होगी। शेष राशि अधिकतम एक सप्ताह में जमा कराई जानी होगी।
6. दिनांक 11.03.2020 को सायं 5:00 बजे तक सामग्री कार्यालय से उठानी होगी इसके पश्चात 1000/- रू0 प्रति दिवस के हिसाब से पेनल्टी वसूली की जावेगी दिनांक 16.03.2020 तक सामग्री नहीं उठाने पर सामग्री उठाने की अनुमति नहीं दी जावेगी, व प्राप्त 25% राशि जब्त कर ली जावेगी।
7. पूर्ण बोली राशि जमा कराने पर ही सामान सुपुर्द किया जायेगा।
8. अधिकतम बोली को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार नीलामी कमेटी को होगा।
9. नीलाम किये जाने वाले सामान की स्थिति कार्यालय समय में आकर देखी जा सकती है।
10. अधिकतम बोली लगाने वाले सदस्य द्वारा राशि जमा नहीं कराई जाती है तो बयाना राशि जब्त कर ली जावेगी।
11. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र उदयपुर न्यायालय रहेगा।


14/02/2020

(डॉ राहुल जैन)
उपनिदेशक कृषि (गु0नि0)
राज्य उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला
जिला उदयपुर